

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक: एफ 28() पंरावि / प्रशा.2 / पंचा.प्र.अ. / सेवानिवृत्त / 2019 / 4/15 जयपुर, दिनांक: 7/11/19

:: सशोधित आदेश ::

श्री मानसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन (बाड़मेर) के जारी सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 2136 दिनांक 18.06.2019 में नाम "मानसिंह सोढा" के स्थान पर "मानसिंह" पढ़ा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक महोदया, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-बाड़मेर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन (बाड़मेर)।
6. श्री मानसिंह, सेवानिवृत्त पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन (बाड़मेर) जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन (बाड़मेर)।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त